कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विषयों में प्राध्यापक(स्कुल शिक्षा) के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 16.10.2015 को विज्ञापन जारी किया गया। उक्त भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहने तथा तदनुरुप नियुक्ति चाहने बाबत् याचिकार्थी श्री रघुवीर सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर में याचिका संख्या 8767/2018 रघुवीर सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.04.2018 की पालना में याचिकार्थी को विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन का पवन कुमार बरडिया बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में आख्यात्मक आदेश **(Speaking order)** के जरिये निस्तारण के आदेश पारित किये है।

माननीय उच्च न्यायालय की पालना में याचिकार्थी श्री रघुवीर सिंह ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर कथन लिखा है कि उसका चयन प्राध्यापक–राजनीति विज्ञान (छात्र संस्थाएं) हेतु मेरिट नं.–1638 पर अस्थायी रूप से हुआ है। विज्ञापनानुसार वांछित तिथि 01.07.2016 को आयु की गणना करने पर 02 वर्ष 06 माह 19 दिन अधिकायु का होने से याचिकार्थी को उक्त पदों हेतु अपात्र किया गया। आयोग द्वारा आयु सीमा का आंकलन विज्ञापन में अंकित प्रावधानानुसार ही किया जाता है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि याचिकार्थी की पात्रता प्रसारित विज्ञप्ति की शर्तों व नियमों के अनुसार ही निर्धारित होती है। अतः प्रसारित विज्ञप्ति की शर्तों से भिन्न चाहा गया अनुतोष उचित नहीं है। इस प्रकार यदि अधिकतम आयु सीमा में याचिकार्थी द्वारा चाही गई छूट प्रसारित विज्ञप्ति की शर्तों से भिन्न प्रदान की जाती है तो न केवल सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया बाधित होगी, भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी कारित होगा। याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि प्रध्यापक (स्कुल शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2015–16 में निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में अतिरिक्त छूट दिया जाना जनहित में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः अधिकतम आयुसीमा में अतिरिक्त छूट देने की मांग तर्कसंगत नहीं है। अतः याचीकार्थी का अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों ।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/रावि/रघुवीर सिंह/8767/2018 दिनांक :03/02/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
3. संबंधित कार्मिक...................... ।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर